कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,उत्तराखण्ड़ देहरादून।
E-Mail ID: nodalfca.forest@uk.gov.in Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 2910 /12-1 : देहरादूनः दिनांकः 03 जून, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– **जनपद–चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में पाताल गंगा से गणाई मोल्टा तक मोटर मार्ग हेतु 1.81 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**
प्रस्ताव संख्या (FP/UK/ROAD/45735/2020)

सन्दर्भः– **भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या–08बी/यू0सी0पी0/06/71/2021/एफ0सी0/1271, दिनांक 23.12.2022**

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपरोक्त विषयक पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर के पत्रांक संख्या–3718/12–1 दिनांक 28.2.2025 के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर द्वारा अनुपालन आख्या निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैः–

क्र.सं.	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर से प्राप्त आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है। वन भूमि के विधिक परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
2	परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
3 (क)	प्रतिपूरक वनीकरण– वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.62 है0 अवनत भूमि दशोली प्रथम क0सं0 3 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचे।	प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 10 वर्षो तक का रखरखाव हेतु वन विभाग द्वारा आंकलित रू0 1476931.00 (चौदह लाख छयत्तर हजार नौ सौ इक्कतीस) मात्र की धनराशि RTGS SBI 52202306301532 दिनांक 20.06.2023 द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है। प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.81 है0 वन भूमि के एवज में दुगने क्षेत्रफल में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आरक्षित दशोली प्रथम क0सं0 3 पर 3.620 वन भूमि प्रस्तावित है। चालान की प्रति संलग्न है। **संलग्नक–1**
(ख)	वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	प्राप्त आख्यानुसार प्रमाण पत्र संलग्न है **(संलग्नक–2)**

Gen Lett.

(ग)	प्रत्यावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल सी0ए0 क्षेत्र, प्रस्तावित सी0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित चैकमेन्ट एरिया, ट्रीटमेन्ट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को लीनियर परियोजनाओं के लिये कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।	आख्यानुसार उक्त सूचना को ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो,तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना एवं अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तभन की लागत परियोजना प्रधिकरण वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिये प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	प्रभागीय वनाधिकारी की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
5 (क)	शुद्ध वर्तमान मुल्य इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्य न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30. 10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09. 05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0(Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0, दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.81 है0 वन क्षेत्र प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मुल्य वसूल करेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी की आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मूल्य 1819340.00 लाठ लाख उन्नतीस हजार तीन सौ चालीस की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है।
(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मुल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई है जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भविष्य में एन0पी0वी0 की बढी हुई दरों पर एन0पी0वी0 का भुगतान किया जायेगा तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है **(संलग्नक–3)**।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 170 वृक्षों के साथ 62 sapling से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
7	गाईडलाईन में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों की कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कडाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि यह अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लिखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।	आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वृक्षारोपण कोष	आख्यानुसार प्रस्तावक विभाग द्वारा कैम्पा के खते में जमा की जा चुकी है को शर्त मान्य है। **संलग्न–4**

Gen Lett.

	प्रबन्ध और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित/जमा किये जायेंगे।	
9	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	आख्यानुसार प्रयोकता अभिकरण को शर्त मान्य है। **संलग्न–5**
10	न्वीनतम वन संरक्षण नियम 28.6.2022 के अनुसार पांचवे वर्ष में न्यूनतम कैनोपी धनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए, और परिपक्व वृक्षारोपण में वनस्पति धनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	आख्यानुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
11	वन मंडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे।	आख्यानुसार प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
12	नोडल अधिकारी State CAMPA यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृति प्रतिपूर्ति पौध रोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेंगे।	आख्यानुसार प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
13	प्र्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण प्र्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	आख्यानुसार प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
14	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाऐगा।	आ आख्यानुसार प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है। **संलग्न–6**
15	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है। **संलग्न–7**
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकडी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाऐगा।	आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है। **संलग्न–8**
17	सम्बन्धित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाऐगा।	आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है। **संलग्न–9**
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाऐगा।	आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है। **संलग्न–10**
19	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया जाऐगा।	आख्यानुसार प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है। **संलग्न–11**
20	केन्द्र सरकार के पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य ऐजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाऐगी।	आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है। प्रमाण पत्र संलग्न। **संलग्न–12**
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–एफ0सी0, दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है। प्रमाण पत्र संलग्न। **संलग्न–13**
22	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय	आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।

	पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	
23	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे ना गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनायी जाऐगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी, एवं राज्य सरकार डम्पिंग क्षेत्र के वृक्षों की सूची पृथक से इस कार्यालय को प्रस्तुत करेगी।	आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है। **संलग्न–14**
24	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुछेद/नियम /न्यायालय आदेश/अनुच्छेद आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता ऐजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	आख्यानुसार प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
23	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (**https://parivesh-nic.in/**) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन आख्या ई–पोर्टल (**https://parivesh-nic.in/**) पर अपलोड कर दी गयी है।

अतः सूचना संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत् प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में वन (संरक्षण एवं संर्वधन) अधिनियम, 1980 यथा संशोधित–2023 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

संख्या : 2910 / 12-1/ तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
3. अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर।

(आर0के0मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

पत्रांक 3718 / 12-1, दिनांक, गोपेश्वर, फरवरी 28 /2025

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः— जनपद चमोली में विकासखण्ड जोशीमठ में पाताल गंगा से गणाई मोल्टा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.81 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः— भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र सं0 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 71 / 2021 / एफ0सी0 / 1271 दिनांक 23.12.2023. 23.12.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.81 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण की सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर की पत्र सं0 110 / 23एल0ए0 / 23 एल0ए0 दिनांक 13.01.2025 से इस कार्यालय को निम्नानुसार प्रेषित की गयी हैः—

क्र.सं.	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में स्वीकृत वन भूमि में किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	शर्त मान्य है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण— (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.62 है0 अवनत भूमि दशोली प्रथम क0स0 3 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा।जहां तक व्यहवारिक हों स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें। (ख) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र में पूर्व में किसी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। (ग) प्रत्यावर्तित किये जाने के जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0एम0 फाईल, सी0ए0 क्षेत्र, प्रस्तावित सी0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित चैक मेन्ट एरिया, ट्रीटमेन्ट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को लीनियर परियोजनाओं के लिए कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई—ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।	(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 10 वर्षो तक का रखरखाव हेतु वन विभाग द्वारा आंकलित रु0 1476931.00(चौदह लाख छयत्तर हजार नौ सौ इक्कतीस) मात्र की धनराशि आर0टी0जी0एस0बी0आई052202306301532 दिनांक 20.06.2023 द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है। प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.81है0 वन भूमि के एवज में दुगने क्षेत्रफल में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आरक्षित दशोली प्रथम क0स0 3 पर 3.620 वन भूमि प्रस्तावित है। चालान की प्रति संलग्न है। (संलग्न—1) (ख) प्रमाण पत्र संलग्न है।(संलग्न—2)। (ग) उक्त सूचना को ई—ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना एवं अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तभन की लागत परियोजना प्रधिकारण वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
5	शर्त सं0 5 (क) इस सम्बन्ध में भारत सरकार के माननीय सवोच्च न्यायालय के WP (c) संख्या 202 / 1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002 01.08.2003, 28.03.2008, 24.08.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5—1 / 1998 एफ.सी0 (PT) दिनांक 18.09.2003, 5—2 / 2006 —एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5—3 / 2007—एफ0सी दिनांक 05.02.2006 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.81 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्व वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख)विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्व मूल्य अतिरिक्त राशि यदि जो अन्तिम रूप देने के बाद हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा । प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	(क) शर्त सं0 05 के अनुपालन मे प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5—3 / 2007 / एफ0सी0 दिनांक 02.05.2022 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य 1819340.00 (अठारह लाख उन्नीस हजार तीन सौ चालीस) की धनराशि आर0टी0जी0एस0बी0आई0एन0—52023062056205 6301532 दिनांक 20.06.2023 वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है। (ख) वन भूमि के शुद्व एन0पी0वी0 वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो के राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी से वसूली जायेगा का प्रमाण पत्र संलग्न है(संलग्न—3)

संरक्षण,भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून
पंजी0 सं0 4389
पत्रावली 12-1
दिनांक 4-4-25

6	प्रयोक्ता एजेन्सी प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा .एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्तावित के अनुसार 170 वृक्षों के साथ 62 Saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के संख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
7	गाईडलाईन में दिए गए दिशानिर्देशो के पैरा 11.2 राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षो की कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्यस सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी। और यह सुनिश्चित करेगी कि यह तरह अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लिखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नही की जायेगी।	शर्त मान्य है।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वृक्षारोपण कोष प्रबन्ध और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित/जमा किये जायेगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कैम्पा के खाते में ऑन पोर्टल के माध्यम से धनराशि जमा की जा चुकी है। (संलग्न-4)
9	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	प्रमाण पत्र संलग्न है। प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त का अनुपालन किया जायेगा। (संलग्न-5)
10.	नवीनतम वन संरक्षण नियम 28.06.2022 के अनुसार पांचवे वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए, और परिपक्व वृक्षारोपण में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
11.	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलो को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेगें।	शर्त मान्य है।
12.	नोडल अधिकारी, State CAMPA यह सुनिश्चित करें, कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौध रोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायेगें।	शर्त मान्य है।
13.	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
14	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।(संलग्न-6)
15	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।**(संलग्न-7)**
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन की किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।(संलग्न-8)
17.	सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा का परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है। (संलग्न-9)
18.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वनक्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।(संलग्न-10)
19.	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है। (संलग्न-11)
20.	केन्द्र सरकार के पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।(संलग्न-12)
21.	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।(संलग्न-13)

22.	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
23.	प्रयोक्ता एजेन्सी पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजाति के पौध लगाकर मलबा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथास्थान रखने हेतु दीवारें बनायी जायेगी। निस्तारण स्थलों का राज्य के वन विभाग को सौपेंने से पूर्व इनका स्थरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयवद्व तरीके से पूरा किया जायेगा। मलबा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षो की कटाई की अनुमति नही होगी, एवं राज्य सरकार डम्पिंग क्षेत्र के वृक्षो की सूची पृथक से इस कार्यालय को प्रस्तुत करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है। (संलग्न–14)
24.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित /अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार /प्रयोक्ता एजेन्सी को जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को शर्त मान्य है।
25.	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https//parivesh.nic.nic/) पर अपलोड की जायेगी।	उक्त अनुपालन आख्या ई पोर्टल (https//parivesh.nic.nic/ पर अपलोड़ कर दी गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त प्रकरण में विधिवत स्वीकृति हेतु यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करे।

संलग्नः– यथोपरि।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पंत्राकः– 3718 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपश्वर, को सूचनार्थ प्रेषित।

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर

E Mail :- eepdgpr1@gmail.com

पत्रांक – 110 /23LA दिनांक – 13/01/2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय :– **जनपद चमाली में विकासखण्ड जोशीमठ में पाताल गंगा से गणाई मोल्टा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.81है. वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भ :– इस कार्यालस का पत्रांक 3202/23 एल०ए० दि० 17.10.2023।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्य हेतु गठित वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्र संख्या 08बी0/यू0सी0पी0/06/71/2021/एफ0सी0/1271 दिनांक 23.12.2022 में अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन इस कार्यालय के पत्रांक 3202/23 एल.ए. दि० 17.10.2023 द्वारा पूर्व में किया गया है। सुलभ सन्दर्भ हेतु कृपया पुनः बिन्दुवार अनुपालन आख्या गठित कर प्रेषित की जा रही है –

बिन्दु सं0	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।	भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में स्वीकृत वन भूमि में किसी भी प्रकार से परिवर्तन नही किया जायेगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सोंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	शर्त मान्य है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण: (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्त अभिकरण की लागत पर 3.62 है. अवनत भूमि दशोली प्रथम क0सं0 3 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यवहारिक हों स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों की एकल प्लांटटेशन से बंचे।	(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु वन विभाग द्वारा आंकलित रू. 1476931.00(चौदह लाख छयत्तर हजार नौ सौ इक्कतीस) मात्र की धनराशि आर0टी0जी0एस0एस0बी0आई0 522023062056301532 दिनांक 20.06.2023 द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है। प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.81 है. वन भूमि के एवज में दुगने क्षेत्रफल में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आरक्षित दशोली प्रथम क0सं0 3 पर 3.620 है. वनभूमि प्रस्तावित है। चालान की प्रति सलंग्न है। सलंग्न 1 नं.।

	(ख) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है। के0एम0एल0एम0पी0 क्षेत्र को लीनियर परियोजनाओं के लिए के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया जायेगा।	(ख) उक्त सूचना वन विभाग के स्तर से सलंग्न की जानी है।
	(ग) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेंत्र की के0एम0एल0एम0 फाईल, सीए0 क्षेत्र, प्रस्तावित सी0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित केच मेन्ट एरिया, ट्रीटमेन्ट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को लीनियर परियोजनाओं के लिए कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	(ग) शर्त मान्य है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि, आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचालित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तंभन की लागत परयोजना प्राधिकारण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्वि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	उपरोक्त बिन्दु सं० 3(क) के अनुसार।
5	शुद्व वर्तमान मूल्यः (क) इस सम्बन्ध में भारत सरकार के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10. 2002, 01.08.2003, 28.03.2008 एवं 24.08. 2008, एवं 9.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 030.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.81 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्व वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	(क) शर्त संख्या 05 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ॰सी॰ दिनांक 02.05.2022 तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य 1819340.00 (अठारह लाख उन्नीस हजार तीन सौ चालीस) की धनराशि आर0टी0जी0एस0बी0आई0एन0–5202306205 62056301532 दिनांक 20.06.2023 वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है।
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त	(ख) शर्त मान्य है, शपथ पत्र सलंग्न है, नं (02)

	राशि यदि कोई हो, जो अतिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेंड़ों की कटाई को न्यून्तम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले पेंड़ों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 170 वृक्षों एवं 62 saplings से अधिक नही होगी एवं पेड़ों राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें । प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	शर्त मान्य है।
7	गाईडलाईन्स में दिए गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्राम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई गतिविधि नहीं की जायगी।	शर्त मान्य है।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https//parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतति/जमा किए जाएगें।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन ई–पोर्टल के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है। (सलंग्न 3 नं०)
9	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन संबन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम सें सुनिश्चित किया जाएगा।	उपरोक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्न है (4–11) ।
10	नवीनतम वन(सरंक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी धनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्क वृक्षारोपण (mature planttion) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होनी चाहिए।	शर्त मान्य है।
11	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृति प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेगें।	शर्त मान्य है।

12	नोडल अधिकारी State CAMPA यह सुनिश्चित करें, कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायंगें।	उक्त बिन्दु में वन विभाग द्वारा कार्यवाही की जानी है।
13	पर्यावरण (सरंक्षण)अधिनियम 1896 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	शर्त मान्य है।
14	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जायेगा।	शर्त मान्य है। (सलंग्न 11से 12)
15	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	शर्त मान्य है। (सलंग्न 12–13 है)
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्जीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनों स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा श्रमिकों हेतु वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईधन की व्यवस्था की जायेगी। (सलंग्न 13–14 है)
17	संबन्धित वन मडंल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अकिंत हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तिति वन भूमि सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा। (सलंग्न 14–15 है)
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अदंर कोई अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण में ही किया जायेगा। (सलंग्न 15–16 है)
19	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिट प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य परियोंजन हेतु नही किया जायेगा। (सलंग्न 16–17 है)
20	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थितियों में किसी भी अन्य एजेंन्सियों, विभाग अथवा व्यवित को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना किसी एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही की जायेगी। (सलंग्न 17–18 है)
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होंगी।	शर्त मान्य है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नही किया जायेगा। (सलंग्न 18–19 है)

22	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्त लागू होगी।	शर्त मान्य है।
23	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वादृष्टि स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह आनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पर्नुजीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्व तरीके से पूरा किया जाएगां मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	शर्त मान्य है, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना हेतु चिहिन्त स्थलों पर मक डिस्पोजल किया जायेगा। (सलंग्न 19–20 है)
24	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	शर्त मान्य है।
25	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https//parivesh-nic-in) पर अपलोड की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https//parivesh-nic-in) पर अपलोड की जायेगी।(सलंग्न 20–21 है)

अतः अनुरोध हे कि कृपया प्रकरण में विधिवत स्वीकृति हेतु अग्रत्तर कार्यवाही कर इस कार्यालय को भी सूचित करने का कष्ट करें।
सलंग्न– अनुपालन आख्या चार प्रतियों में ।

13.01.2025

अधिशासी अभियन्ता
प्रां॰खं॰ लो॰नि॰वि॰,
गोपेश्वर

प्रतिलिपि– सहायक अभियन्ता, लो०नि०वि०, ज्योर्तिमठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि– खण्डीय अमीन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रां॰खं॰ लो॰नि॰वि॰,
गोपेश्वर

संलग्नक-(1)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर

Ph. No/Fax No :- 01372 – 252122 **E Mail :- eepdgpr1@.gmail.com**

पत्रांक 273 / 23 एल0ए0 दिनांक 04 / 02 / 2023

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड
देहरादून।

विषय– जनपद चमोली में विकासखण्ड जोशीमठ में पातालगंगा से गणाई–मोल्टा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.81 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग के प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पंत्राक 8 बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 71 / 2021 / एफ.सी. / 1271 दिनांक 23.12.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में अवगत कराना है भारत सरकार द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर के पंत्राक 3151 / 12–1 गोपेश्वर दिनांक 28.12.2022 के क्रम में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण / एन0पी0वी0 की धनराशि का मांग इस कार्यालय को प्रेषित किया गया हैं जिसके क्रम में क्षतिपूर्ति एन0पी0वी0 की धनराशि की भुगतान हेतु मागं पत्र प्रेषित किया जा रहा है।

क्रम सं०	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु मांग	एन0पी0वी0 हेतु मांग	कुल
1	1476931.00	1819430.00	3296361.00

सलंग्नः– मांग पत्र / ऑनलाईन चालान की छाया प्रति।

O/C

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
गोपेश्वर।

पत्रांक 273 / 23 L0 दिनांकित्

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियन्ता 7 वां वृत्त लो0नि0वि0 गोपेश्वर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

पप्रतिलिपिः– सहायक अभियन्ता (मुख्यालय) लो0नि0वि0 गोपेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि
गोपेश्वर

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
गोपेश्वर।

संलग्नक - (1)

गोपेश्वर 103291
GOPESHWAR
AGENCY COPY
Phone : 01372-252172

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्र Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 20-06-2023

Agency Name.	**PUBLIC WORK DEPARTMENT**
Application No.	**6145735805**
MoEF/SG File No.	**8B/UCP/06/71/2021/FC**
Location.	**UTTARANCHAL**
Address.	**PROVINCIAL DIVISIONChamoli**
Amount(in Rs)	**3296361/-**

Amount in Words :Thirty-Two Lakh Ninety-Six Thousand Three Hundred and Sixty-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	**UTTARANCHAL CAMPA**
IFSC Code:	**UBIN0996335**
Pay to Account No.	**150896145735805** **Valid only for this challan amount.**
Bank Name & Address:	**Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027**

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**

Note:After making the required payment through ch even after 7 working days, then kindly mail a copy c id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse ubin0903710@unionbankofindia.bank

SBINR52023062056301532

Executive Engineer
Provincial Division P.W.D
Gopeshwar

भारतीय स्टेट बैंक, गोपेश्वर 03291
पी० एफ० नं०-1031569
20 JUN 2023
Monika Joshi
चेकर

भारतीय स्टेट बैंक
20 JU
Monika
चेकर

भारतीय स्टेट बैंक, गोपेश्वर
पी० एफ० नं०-6
20 JUN 2023
Somya N
चेकर

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि
गोपेश्वर

संलग्नक-(2)

परियोजना का नाम— जनपद चमोली में विकासखण्ड जोशीमठ में पाताल गंगा से गणाई मोल्टा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.81 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त परियोजना के सापेक्ष क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल 3.62 है0 अवनत आरक्षित वन भूमि दशोली प्रथम क0स0 3 जो स्थल प्रस्तावित की गयी है। उक्त स्थल में पूर्व में किसी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

संलग्नक- (3)

2

प्रमाण पत्र

विषयः— जनपद चमोली में विकासखण्ड जोशीमठ में पाताल गंगा से गणाई मोल्टा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.810 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० धनराशि में बढ़ोतरी होने पर अतिरिक्त धनराशि विभाग के पक्ष में जमा की जायेगी।

अभियन्ता अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर

संलग्नक-(4)

प्रमाण पत्र

य:— जनपद चमोली में विकासखण्ड जोशीमठ में पाताल गंगा से गणाई मोल्टा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.810 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि, प्रयोक्ता अभिकरण उक्त धनराशि ऑनलाईन परिवेश पोर्टल के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है।

अभियन्ता अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड़ लो०नि०वि०
गोपेश्वर

संलग्नक-(5)

प्रारुप–30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Chamoli

No----- Dated-15/5/2020

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.810 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of *PWD Gopeshwar* for *Construction of Patalganga to Ganai-Molta Motor Road* in Chamoli district falls within jurisdiction of Darhami, Nauligwad and Ganai villages in Joshimath tehsil.
It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.810 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

जिलाधिकारी
Signature
चमोली
(Full name and official seal of the District Collector)

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि
गोपेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mrs. Swati S. Bhadoria** I.A.S deputy commissioner **Chamoli** on dated 15-5-2020 at time .1.5-05..at 1:15...... in which application claiming rights in ………….. area measuring **1.810 hect** for the ***Construction of Patalganga to Ganai-Molta Motor Road*** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of **Joshimath** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;..Gopeshwar

Dated:...15/5/2020

जिलाधिकारी
चमोली
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committe

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि
गोपेश्वर

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम–:जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में पातालगंगा से गणाई मोल्टा तक 10 किमी॰ मार्ग एवं किमी॰ 5 पर दो (40 मी॰ तथा 30 मी॰) एवं किमी॰ 8 पर दो (25 मी॰ एवं 20 मी॰) स्पान मोटर सेतु निर्माण हेतु 1.810 हे॰ वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 4.900 किमी॰।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम –गणाई , तहसील– जोशीमठ, जिला–चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत जोशीमठ परिक्षेत्र के *पातालगंगा से गणाई मोल्टा तक 10 किमी॰ मार्ग एवं किमी॰ 5 पर दो (40 मी॰ तथा 30 मी॰) एवं किमी॰ 8 पर दो (25 मी॰ एवं 20 मी॰) स्पान मोटर सेतु निर्माण* हेतु 1.810 हे॰ वन भूमि (सिविल सोयम 1.810 हे॰ वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **गणाई** द्वारा दिनांक 08/12/2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं।

उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **गणाई** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि *लोक निर्माण विभाग* को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हस्ताक्षर

ग्राम सचिव
मुहर सहित
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र ... विकास खण्ड – जोशीमठ

सदस्य गणाई
ग्रा॰ पं॰-गणाई-मोल्टा-पगनौ
विकास खण्ड -जोशीमठ

हस्ताक्षर

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

सरपंच वन पंचायत, गणाई
जोशीमठ, चमोली

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो॰ नि॰ वि
गोपेश्वर

प्रारुप–30.2

परियोजना का नाम :–जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में पातालगंगा से गणाई मोल्टा तक 10 किमी॰ मार्ग एवं किमी॰ 5 पर दो (40 मी॰ तथा 30 मी॰) एवं किमी॰ 8 पर दो (25 मी॰ एवं 20 मी॰) स्पान मोटर सेतु निर्माण हेतु 1.810 हे॰ वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 4.900 किमी॰।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, जोशीमठ
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रभाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, जोशीमठ

उपखण्ड जोशीमठ परिक्षेत्र के अन्तर्गत *पातालगंगा से गणाई मोल्टा तक 10 किमी॰ मार्ग एवं किमी॰ 5 पर दो (40 मी॰ तथा 30 मी॰) एवं किमी॰ 8 पर दो (25 मी॰ एवं 20 मी॰) स्पान मोटर सेतु* निर्माण हेतु 1.810 हे0 वन भूमि (सिविल सोयम वन भूमि 1.810 हे॰) का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील– जोशीमठ) की दिनांक ––04-03-2019–– को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री किशन सिंह नेगी, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री योगेन्द्र सिंह उपजिलाधिकारी –––––––– ––––––––––––अध्यक्ष
2– श्री ––अमरेश कुमार––––उप प्रभागीय वनाधिकारी––––––––––––––––––––सदस्य
3– श्री खजान सिंह सहायक समाज कल्याण अधिकारी–––––––––––––––सदस्य/सचिव
4– श्री दलवीर सिंह बी0डी0सी0 क्षेत्र––––––––––––––––––––––––––––सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि *पातालगंगा से गणाई मोल्टा तक 10 किमी॰ मार्ग एवं किमी॰ 5 पर दो (40 मी॰ तथा 30 मी॰) एवं किमी॰ 8 पर दो (25 मी॰ एवं 20 मी॰) स्पान मोटर सेतु निर्माण* परियोजना हेतु 1.810 हे॰ वन भूमि *लोक निर्माण विभाग* के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ––––––––––––––––––द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड जोशीमठ परिक्षेत्र के अन्तर्गत *पातालगंगा से गणाई मोल्टा तक 10 किमी॰ मार्ग एवं किमी॰ 5 पर दो (40 मी॰ तथा 30 मी॰) एवं किमी॰ 8 पर दो (25 मी॰ एवं 20 मी॰) स्पान मोटर सेतु* परियोजना के निर्माण हेतु 1.810 हे॰ वन भूमि *लोक निर्माण विभाग* को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील जोशीमठ
जनपद चमोली।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
सदस्य

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
सदस्य/सचिव

बी0डी0सी0
सदस्य

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी महोदय चमोली, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील जोशीमठ
जनपद चमोली।

(18)
(8)

प्रपत्र

दिनांक 08/12/2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत का नामः– गणाई।

क्र0सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	जगदीश प्रसाद सती	[illegible]
2	चन्द्र सिंह पंवार	चन्द्र सिंह
3	इन्द्रलाल	इन्द्रलाल
4	राजेन्द्र नौटियाल	[illegible]
5	आशीष भण्डारी	Ashish
6.	Sandeep HARSWAN	Sandeep
7.	गोपाललाल	गोपाललाल
8	प्रमोद सिंह	प्रमोद सिंह
9	भूपेन्द्र सिंह	Bhupendra S
10.	रघुवीर सिंह	रघुवीर सिंह
11.	कुन्दन सिंह फरस्वाण	कुन्दन सिंह
12.	कुलदीप सिंह	Kulo
13	विनोद भण्डारी	विनोद [illegible]
14.	उर्मिला सती	उर्मिला [illegible]
15	राजेन्द्र सिंह पंवार	राजेन्द्र [illegible]
16.	रघुनाथ सिंह पंवार	D[illegible]
17.	[illegible] सती	[illegible]
18	प्रेमवल्लभ सती	[illegible]
19	भगत सिंह	[illegible]
20	शंकर सिंह	[illegible]
21	मुनीषचन्द्र	[illegible]
22	बद्री प्रसाद	बद्री प्रसाद
23	नरेन्द्र सिंह	नरेन्द्र सिंह
	केदार सिंह	केदार सिंह

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि
गोपेश्वर

सदस्य गणाई
क्षेत्र पं.-गणाई-मोल्टा-पगनौ
विकास खण्ड -जोशीमठ

प्रधान ग्राम पंचायत गणाई
वि० ख० जोशीमठ

सरपंच वन पंचायत गणाई
दिनांक
जोशीमठ

प्रपत्र – 23.1

दिनांक 08/12/18 को ग्रामसभा गणाई की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :–

क्रम सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री कुन्दनसिंह फरस्वाण	कुन्दनसिंह
2	" भगतसिंह नेगी उपप्रधान गणाई	BSingh
3	" बिजेन्द्रसिंह नेगी	BSnegi
4	" कुलदीपसिंह नेगी	[illegible]
5	" कल्पेश्वर प्रसाद भजियाडी	[illegible]
6	" दिनेशचन्द्र भजियाडी	दिनेशचन्द्र
7	" जयदीपसिंह रावत	[illegible]
8	" मोहनसिंह	मोहनसिंह
9	" मुरलीसिंह	मुरलीसिंह
10	विक्रमसिंह रावत	[illegible]
11	मुनीषचन्द	[illegible]
12	सोबनसिंह	सोबनसिंह
13	आशीष	Ashish
14	राजेन्द्र रावत	[illegible]
15	लक्ष्मी प्रसाद	Laxmi Prasad
16	रमेश चंद्र भजियाडी	रमेश चंद्र

DM FRA Letter

सदस्य [signature]
ग्रा० पं०-गणाई-मोरटा-पगनौ
विकास खण्ड -जोशीमठ

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि
गोपेश्वर

प्रधान ग्राम पंचायत ... वि० ख० जोशीमठ चमोली

गोपेश्वर

प्रपत्र – 23.1

दिनांक 08/12/18 को ग्रामसभा [illegible] की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :–

क्रम सं॰	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
17	श्री प्रताप सिंह	प्रताप सिंह
18	श्री अब्बल सिंह	अब्बल सिंह
19	श्री [illegible] सिंह	[illegible]
20	श्री भरत सिंह	भरत सिंह
21	श्री [illegible] सिंह	[illegible]
22	श्री रघुवीर सिंह	रघुवीर सिंह
23	श्री भगत सिंह	भगत सिंह
24	श्री, जगत सिंह	जगत सिंह
25	नरेन्द्र सिंह	[illegible]
26	धीरज पाण्डे	[illegible]
27	सुखदेव सिंह	[illegible]
28	भगवती प्रसाद	भगवती प्र०
29	दौलत सिंह	[illegible]
30	संगीता देवी	संगीता देवी
31	अवतार सिंह	Avtar Singh
32	गजेन्द्र सिंह	[illegible]

DM FRA Letter

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि
गोपेश्वर

सदस्य
क्षे० पं०-पगनाई-मोल्टा-पगनी
विकास खण्ड -जोशीमठ

प्रधान ग्राम पंचायत

प्रपत्र – 23.1

दिनांक 02/12/18............ को ग्रामसभा ....[illegible]............ की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :–

क्रम सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
33	प्रेम सिंह	[signature]
34	दरमान सिंह	[signature]
35	तारेन्द्र प्रसाद	तारेन्द्र
36	दिलवर सिंह	[signature]
37	नीरज सिंह	Niraj
38	जयानन्द भजियाण्डी	जयानन्द
39	भरतसिंह	भरतसिंह
40	राजेन्द्रसिंह	राजेन्द्रसिंह
41	प्रभात सिंह पंवार	[signature]
42	विमला देवी	विमला देवी
43	अवतार सिंह	अवतारसिंह
44	दिवाकर प्रसाद	दिवाकर
45	बद्री प्रसाद	बद्री प्रसाद
46	बंशीधर भजियाण्डी	बंशीधर भजियाण्डी
47	सीता देवी	सीतादेवी
48	शंकर सिंह	Sankarsingh

सदस्य ग्राम पंचायत
विकास खण्ड –जोशीमठ

DM FRA Letter

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि
गोपेश्वर

प्रधान ग्राम पंचायत
गोपेश्वर

संलग्नक-16

प्रमाण पत्र

विषयः– जनपद चमोली में विकासखण्ड जोशीमठ में पाताल गंगा से गणाई मोल्टा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.81 है॰ वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।

अभियन्ता अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड़ लो०नि०वि०
गोपेश्वर।

संलग्नक-(7)
(13)

प्रमाण पत्र

विषयः– जनपद चमोली में विकासखण्ड जोशीमठ में पाताल गंगा से गणाई–मोल्टा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.81 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि, प्रयोक्ता अभिकरण वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।

अभियन्ता अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर

संलग्नक-13)
(14)

प्रमाण पत्र

विषयः— जनपद चमोली में विकासखण्ड जोशीमठ में पाताल गंगा से गणाई—मोल्टा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.810 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को वन विकास निगम से अथवा वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराया जायेगा।

अभियन्ता अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर

संलग्नक-(9)
(15)

प्रमाण पत्र

विषयः— जनपद चमोली में विकासखण्ड जोशीमठ में पाताल गंगा से गणाई—मोल्टा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.81 हे॰ वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि, वन भूमि सीमा को परियोजना लागत आर॰सी॰सी॰ पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा।

अभियन्ता अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर

संलग्नक – (10)

प्रमाण पत्र

विषयः– जनपद चमोली में विकासखण्ड जोशीमठ में पाताल गंगा से गणाई–मोल्टा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.81 हे॰ वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि कार्य के निस्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग निर्माण नहीं किया जायेगा।

अभियन्ता अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर

संलग्नक-(11)

प्रमाण पत्र

विषयः– जनपद चमोली में विकासखण्ड जोशीमठ में पाताल गंगा से गणाई–मोल्टा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.81 हे॰ वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि, परियोजना के प्रस्ताव में विनिदृष्टि प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जायेगा।

अभियन्ता अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर।

9/10/23

संलग्नक -(12)

(18)

प्रमाण पत्र

विषयः— जनपद चमोली में विकासखण्ड जोशीमठ में पातालगंगा से गणाई—मोल्टा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.81 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि, केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्ततन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य ऐजेन्सी विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

अभियन्ता अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर

संलग्नक - (13)

प्रमाण पत्र

विषयः– जनपद चमोली में विकासखण्ड जोशीमठ में पाताल गंगा से गणाई–मोल्टा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.81 हे॰ वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लघंन नही किया जायेगा

अभियन्ता अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर

9/10/13

संलग्नक –(14)

20

प्रमाण पत्र

विषयः– जनपद चमोली में विकासखण्ड जोशीमठ में पाताल गंगा से गणाई–मोल्टा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.81 हे॰ वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्व विद्विष्ट स्थलों पर ही मलवा निस्तारण किया जायेगा।

अभियन्ता अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
गोपेश्वर